"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2017—पौष 16, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-1/2015/1/5.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा वर्ष 2016 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 (1881 का क्र. 26) के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक अवकाश की अनुसूची में क्रमांक 14 पर एवं सामान्य अवकाश की सूची (अ) में क्रमांक 18 पर "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" हेतु मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर, 2016 को अवकाश घोषित किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

2. भारत सरकार के आदेश क्रमांक F 12/18/2016-JCA2 दि. 07-12-16 के द्वारा "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" के पर्व हेतु दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के स्थान पर दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को अवकाश की घोषणा की गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा मंगलवार दिनांक 13 दिसंबर, 2016 के स्थान पर सोमवार दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को "ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी)" पर्व के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक C.G./490 को दिनांक 09-12-2016 से 08-03-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट/अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बॉलयर क्र.	छूट की समयावधि
1.	एम. पी. 3216	दिनांक 19-06-2016 से 18-12-2016 तक (अतिरिक्त)
2.	एम. पी. 3656	दिनांक 24-06-2016 से 23-12-2016 तक
3.	एम. पी. 4297	दिनांक 24-09-2016 से 23-03-2017 तक (अतिरिक्त)
4.	एम. पी. 3434	दिनांक 09-10-2016 से 08-11-2016 तक (अतिरिक्त)

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराईजावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-30/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये उम्मीदवार श्री जगपाल सिंह बल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत विभागाध्यक्ष (मेकेनिकल) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 9,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़ में पदस्थ करता है :—

2. उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्ति 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रावधान का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-09-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में आपसी आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	40	दीपेश कुमार गौतम	व्याख्याता (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन)	शास. कन्या पॉली. रायपुर.	शास. कन्या पॉली. जगदलपुर.
2.	41	दयानिधि मांझी	व्याख्याता (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन)	शास. कन्या पॉली. जगदलपुर.	शास. कन्या पॉली. रायपुर.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	05	नोहर कुमार धीवर	सहायक प्राध्यापक (गणित)	शास. इंजी. महा. जगदलपुर.	शास. इंजी. महा. रायपुर.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में आपसी आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	11	सीमा दिल्लीवार	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास. पॉली. महासमुन्द	शास. पॉली. खैरागढ़
2.	10	लक्ष्मीकांत कराल	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास. पॉली. खैरागढ़	शास. पॉली. महासमुन्द

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	03	प्रियंका मिश्रा	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास. पॉली. रामानुजगंज	शास. कन्या पॉली. बिलासपुर.
2.	01	रिजवाना खातून	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास. पॉली. सुकमा	शास. पॉली. अंबिकापुर
3.	02	हरनीत कौर भाटिया	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास. पॉली. बीजापुर	शास. सहशिक्षा पॉली. रायपुर.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15573/एफ-08/89/WBCIS/2016/14-2.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23-02-2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा रबी वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तथा खरीफ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रदेश

में "मौसम आधारित फसल बीमा योजना" राज्य के समस्त 27 जिलों में लागू करती है. योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई :—**

मौसम	फसल	बीमा इकाई
रबी	टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज	राजस्व निरीक्षक मंडल
खरीफ	टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च, अदरक	राजस्व निरीक्षक मंडल

2. **अधिसूचित क्षेत्र :—** छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी. जिलेवार, तहसीलवार योजना हेतु अधिसूचित बीमा इकाई (राजस्व निरीक्षक मंडल) की जानकारी परिशिष्ट-1 में है.

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :—** इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) भाग ले सकते हैं.

   (क) **अनिवार्य आधार पर—** ऐसे सभी कृषक जिनको रबी/खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित उद्यानिकी फसल के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा मौसमी उद्यानिकी फसल ऋण की सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो. किसी कृषक का एक अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में, उसे केवल एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा.

   (ख) **स्वैच्छिक आधार पर :—** अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं.

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :—** योजना क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश में उल्लेखित विधि के अनुरूप राज्य के सभी जिलों को 05 क्लस्टर में वर्गीकृत कर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई. प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली बीमा कम्पनी (एल-1) को योजना के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया. जिसका क्लस्टरवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्लस्टर संख्या	क्लस्टर में शामिल जिले	बीमा कंपनी
1.	दुर्ग, जांजगीर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद	बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
2.	बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर, धमतरी, सूरजपुर	बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
3.	बेमेतरा, कोंडागांव, बालोद, कोरिया, कोरबा, सुकमा	बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
4.	रायगढ़, कबीरधाम, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा	बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
5.	रायपुर, बलरामपुर, जशपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, महासमुंद	बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

खरीफ एवं रबी मौसम हेतु जिलेवार अधिसूचित फसलें एवं वास्तविक प्रीमियम दर का विवरण परिशिष्ट-2 पर है.

5. **जोखिम, जोखिम अवधि एवं क्षति का आंकलन :—** राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार टर्मशीट में उल्लेखित मौसम जोखिम, जोखिम अवधि, क्षति का आंकलन एवं क्षतिपूर्ति निर्धारण की जानकारी जिलेवार एवं फसलवार परिशिष्ट-3 पर दी गई है.

6. **स्थानीय आपदा आलोवृष्टि की स्थिति (Add-on/Index Plus Product) :—** आलोवृष्टि जोखिम को निम्नलिखित फसलों के लिये अनिवार्य जोखिम के रूप में सम्मिलित किया गया है. ओलावृष्टि की स्थिति में कृषक इसकी सूचना टोल-फ्री नम्बर पर या लिखित रूप से ई-मेल, व्हाट्स एप एवं पत्र द्वारा 48 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा.

   हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की क्षति के आंकलन हेतु क्षति निर्धारक को भेजेगी, तदोपरांत योजना अंतर्गत गठित संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक भी सम्मिलित हो, मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावाधनों के अनुसार

क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर बीमा कंपनी द्वारा देय दावा भुगतान किया जावेगा. विभिन्न फसलों के लिए ओलावृष्टि हेतु जोखिम अवधि निम्नानुसार होगी :—

क्र.	फसल का नाम	ओलावृष्टि जोखिम चरण अवधि
1.	रबी–टमाटर	20 फरवरी से 20 मार्च
2.	खरीफ–केला	1 जनवरी से 31 मई
3.	खरीफ–पपीता	1 जनवरी से 30 अप्रैल
4.	खरीफ–मिर्च	1 जनवरी से 10 मार्च

7. **बीमित राशि :—** बीमित राशि, प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान (Scale of Finance) के बराबर होगी. जिलावार ऋणमान का विवरण परिशिष्ट–4 में है. ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को “बीमा प्रीमियम राशि” अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी.

8. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :—** वास्तविक प्रीमियम का अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जायेगा, शेष प्रीमियम राशि 50–50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा देय होगा. क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम विवरण परिशिष्ट–4 पर है.

9. **योजना अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु समय-सीमा का निर्धारण :—**

क्र. सं.	क्रियाकलाप	समयावधि	
		खरीफ	रबी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी किसानों के लिए ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीकृत ऋण).	1 अप्रैल से 31 जुलाई	1 अक्टूबर से 31 दिसंबर
2.	कृषकों (ऋणी/अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम राशि काटने की अंतिम तिथि.	31 जुलाई	31 दिसंबर
3.	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक तथा बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी) से ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों के बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि.	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 दिन के अंदर और गैर ऋणी किसानों के लिए 7 दिन के अंदर.	
4.	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गये किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि.	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर.	
5.	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारिताओं के लिए) से ऋणी और अऋणी कृषकों के प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख.	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर.	
6.	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा व्यक्तिगत बीमाकृत किसानों के ब्यौरों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना.	किसानों से प्राप्त प्रीमियम अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर.	
7.	उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आंकड़ें के आधार पर दावा भुगतान.	जोखिम समाप्त होने के तिथि से 45 दिवस के भीतर.	

टीप :— उपरोक्त समय-सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में बैंक/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी.

10. **दावा गणना :—**

10.1 कृषकों को दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा, वायु गति, बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि) के आंकड़े प्राप्त होने पर योजना की टर्म शीट के अनुसार किया जावेगा. मौसम जोखिम के आधार पर सभी अधिसूचित फसलों हेतु तैयार टर्मशीट परिशिष्ट–3 में वर्णित है.

10.2 दावा प्रक्रिया स्वचलित मौसम केन्द्र के आंकड़े के अनुसार मान्य होगी. संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन मौसम केन्द्र से प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा तथा दावा राशि का भुगतान बीमित कृषक के खाते में संबंधित बैंक द्वारा कराया जावेगा.

10.3 प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान संबंधित बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा. बीमित कृषकों को दावा भुगतान का लाभ निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व भी बीमा कंपनी का होगा. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कंपनियों के खिलाफ मार्गदर्शी में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

10.4 कृषकों को दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़े व सरकार से प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने पर बीमा अवधि समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.

10.5 दावा वितरण के पूर्व संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावा पत्रक एवं मौसम से संबंधित आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा.

11. वित्तीय संस्थायें समस्त ऋणी तथा अऋणी कृषकों की सूची जिसमें–कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, मोबाईल नंबर, आधार संख्या, ग्राम, ग्राम पंचायत, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी–लघु एवं सीमांत/अन्य महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कंपनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी. साथ ही राज्य सरकार एवं कार्यान्वयक अभिकरण सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को वेब पोर्टल www.agri-insurance.gov.in में इंद्राज करेगी. वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय की जाने वाली बीमित कृषकों की जानकारी हेतु प्रारूप परिशिष्ट–5 में है.

12. **बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :—** सभी संबंधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माहवार/फसलवार अधिसूचित क्षेत्रवार बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को प्रदान करेंगे.

13. **मौसम केन्द्रों की जानकारी :—**

13.1 प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत बीमा कंपनी द्वारा परिशिष्ट–1 में दिये गये राजस्व निरीक्षक मंडल के चिन्हित ग्राम में भारत सरकार से अनुमोदित किसी भी कंपनी के माध्यम से अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस में स्वचलित मौसम केन्द्र स्थापित करेगी, जो सतत रूप से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुगति आदि की रिकार्डिंग करेंगे. स्थापित AWS का सत्यापन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं मौसम विज्ञान केन्द्र लालपुर रायपुर के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जावेगा.

साथ ही AWS के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर पदस्थ उद्यान विभाग के जिला अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मौसम आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था एवं बीमा कपंनी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

13.2 स्वचलित संदर्भ मौसम केन्द्र राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत होंगे तथा राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम मौसम केन्द्र से सम्बध होंगे.

13.3 संबंधित क्षेत्र के स्वचालित मौसम केन्द्र यदि खराब होते हैं तो उनके समीपस्थ स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्र (जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है) के मौसमी आंकड़े स्वीकार किये जायेंगे.

13.4 चयनित बीमा कंपनी को मौसम के प्रतिदिन के आंकड़े जिला एवं राज्य स्तर के उद्यानिकी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा.

13.5 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 से AWS स्थापित होने के दिनांक तक के मौसम के आंकड़े भारतीय मौसम विभाग द्वारा जिलों में स्थापित AWS/कृषि मौसम वैधशाला से मौसमी आंकड़े प्राप्त कर उद्यानिकी विभाग बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेगा. यदि भारतीय मौसम विभाग से मौसम आंकड़े प्राप्त नहीं होते तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित AWS/कृषि मौसम वैधशाला के मौसम आंकड़े प्राप्त किया जावेगा जिसे बीमा कंपनी को मान्य करना होगा. जिन जिलों में AWS/कृषि मौसम वैधशाला स्थापित नहीं है उन जिलों के लिए उनके सम्मुख परिशिष्ट-6 में उल्लेखित जिलों के मौसम आंकड़े को व्यवहार में लिया जावेगा.

14. **बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्प :—** कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की इच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है किन्तु ऐसे ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि रबी/खरीफ हेतु के 30 दिवस पूर्व तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र [जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो] के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा. यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा जिन्होंने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है.

गैर अधिसूचित फसल को यदि अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए समय-सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी.

15. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :—** योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ओलावृष्टि क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक 6 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जावेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जावेगी.

16. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत रबी/खरीफ मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा.

17. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय-सीमा, कार्य पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व राज्य शासन/क्रियान्वयन बीमा कंपनियों का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे.

18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशिका तथा समय-समय पर जारी निर्देश एवं इसमें उल्लेखित अपेक्स संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा.

19. बैंक द्वारा फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित तिथि के अंदर खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक-पृथक काटी जावेगी.

20. टर्मशीट में उल्लेखित रबी वर्ष 2016-17 को रबी वर्ष 2016-17 व 2017-18 तथा खरीफ वर्ष 2017-18 व 2018-19 के लिए भी मान्य किया जावेगा.

21. चयनित बीमा कंपनी द्वारा संबंधित जिले में विकासखण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर कृषकों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, इसके लिए विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यम यथा-रेडियो, क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग किया जायेगा.

22. योजना संबंधित अन्य दिशा-निर्देशों के लिये भारत शासन द्वारा जारी मौसम आधारित फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका संचालन पद्धतियों का अनुपालन करेंगे.

23. यह अधिसूचना दिनांक 01-10-2016 से प्रभावी मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-125/2001/10-1.—बीजापुर वनमण्डल से बफर जोन क्षेत्र को इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर को हस्तांतरित करने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, बीजापुर वनमंडल से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 25-50-98-10-3, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीजापुर वनमंडल का पुनर्गठन करता है, अर्थात् :—

वृत्त का नाम (1)	जिले का नाम (2)	वनमण्डल का नाम एवं मुख्यालय (3)	उप वनमण्डल का नाम एवं मुख्यालय (4)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) (5)	परिक्षेत्र, काष्ठागार एवं मुख्यालय (6)	उप वनमण्डल की सीमाओं का विवरण (7)	वनमण्डल की सीमाओं का विवरण (8)
जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर वनमण्डल (बीजापुर)	1. बीजापुर (बीजापुर)	1171.900	1. बीजापुर (बीजापुर) 2. भैरमगढ़ (भैरमगढ़) 3. गंगालूर (गंगालूर) 4. बीजापुर काष्ठागार (बीजापुर) 5. उत्पादन परिक्षेत्र, बीजापुर (बीजापुर) (कार्यक्षेत्र बीजापुर, भैरमगढ़, गंगालूर परिक्षेत्र)	**उत्तर**-जिला नारायणपुर की दक्षिणी सीमा एवं महाराष्ट्र राज्य की दक्षिण-पूर्वी सीमा. **पूर्व** - दन्तेवाड़ा वनमण्डल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**-आवापल्ली उप वन मण्डल की उत्तरी सीमा एवं सुकमा वन मण्डल की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**-इंद्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर के बफर जोन क्षेत्र की पूर्वी सीमा.	**उत्तर**-जिला नारायणपुर, की दक्षिणी सीमा, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर के बफर जोन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य की दक्षिणी सीमा. **पूर्व** - दन्तेवाड़ा वन मण्डल, की पश्चिमी सीमा एवं सुकमा वनमण्डल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**-सुकमा वन-मण्डल की उत्तरी सीमा एवं तेलंगाना राज्य की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**- इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य की पूर्वी सीमा एवं तेलंगाना राज्य की पूर्वी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर वनमण्डल (बीजापुर)	2. आवापल्ली (आवापल्ली)	1162.770	1. आवापल्ली (आवापल्ली) 2. पामेड़ (आवापल्ली)	**उत्तर**-भोपालपटनम उपमंडल की दक्षिणी सीमा एवं बीजापुर उपवनमंडल की दक्षिणी सीमा. **पूर्व** - बीजापुर उप-वनमंडल की दक्षिणी सीमा एवं सुकमा वनमंडल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**- सुकमा वन-मंडल की उत्तरी सीमा एवं तेलंगाना राज्य की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**-तेलंगाना राज्य की पूर्वी सीमा.	
			3. भोपालपटनम (भोपालपटनम)	488.024	1. भोपालपटनम (भोपालपटनम) 2. मद्देड़ (मद्देड़) 3. उत्पादन परिक्षेत्र मद्देड़ (मद्देड़) (कार्यक्षेत्र भोपालपटनम, मद्देड़, आवापल्ली, पामेड़ परिक्षेत्र)	**उत्तर**-इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर के बफर जोन क्षेत्र की दक्षिणी सीमा. **पूर्व** - बीजापुर उप वनमण्डल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**-आवापल्ली उप वनमण्डल की उत्तरी सीमा एवं तेलंगाना राज्य की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**-महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा एवं तेलंगाना राज्य की पूर्वी सीमा (इन्द्रावती नदी)	
		बीजापुर वनमंडल का योग		**2822.694**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-125/2001/10-1.—भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-125/2001/10-1, दिनांक 05-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2016

No. F 1-125/2001/10-1.—Due to handing over of buffer zone area from Bijapur Forest Division to Indiravati Tiger Reserve, Bijapur, Government of Chhattisgarh, hereby, by partially amending the notification of this department's No. F-25-50-98-10-3, Bhopal, dated the 11th September, 1998 relating to Bijapur Forest Division, reconstitutes the Bijapur Forest Division as per the description given below from the date of publication of this notification in Official Gazette, namely :—

Name of circle	Name of District	Name of Division and Headquarter	Name of Sub Division and Headquarter	Area in (sq. km)	Range, Depot and Headquarter	Details of Sub division Boundaries	Details of Division Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jagdal-pur	Bijapur	Bijapur Forest division (Bijapur)	1. Bijapur (Bijapur)	1171.900	1. Bijapur (Bijapur) 2. Bhairam-garh (Bhariram-garh) 3. Gangalur (Gangalur) 4. Bijapur Depot (Bijapur) 5. Production Range Bijapur (Bijapur) (Workable area Bijapur, Bhairam-garh, Gangalur Range)	**North-**Southern Boundary of Narayanpur District East and South Boundary of Maharashtra State. **East-** Western Boundary of Dantewada Forest Division. **South-** Northern Boundary of Sub Division Awapalli and Northern Boundary Sukma Forest Division. **West-** Eastern Boundary of buffer zone area of Indravati Tiger Reserve Bijapur.	**North-**Southern Boundary of Narayanpur District, Buffer Zone Area of Indravati Tiger Reserve Bijapur and Southern Boundary of Maharashtra State. **East -** Western Boundary of Forest Division Dantewada and Western boundary of Forest Division Sukma. **South-** Northern Boundary of Sukma Forest Division and Northern boundary of Telangana State.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							West - Eastern Boundary of buffer zone area of Indravati Tiger Reserve, Maharashtra State and Eastern boundary of Telangana State.
			2. Awapalli (Awapalli)	1162.770	1. Awapalli (Awapalli) 2. Pamed (Awapalli)	**North-** Southern Boundary of Forest Sub Division Bhopalpat-nam and Southern Boundary of Forest Sub Division Bijapur. **East-** Southern boundary of Forest Sub-Division Bijapur and Western boundary of Forest Division Sukma. **South-** Northern Boundary of Forest Division Sukma and Northern Boundary of Telangana State. **West-** Eastern Boundary of Telangana State.	
			3, Bhopal-patnam (Bhopal-patnam)	488.024	1. Bhopal-patnam (Bhopal-patnam) 2. Madded (Madded)	**North-** Southern Boundary of buffer zone area of Indravati Tiger	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					3. Production Range Madded (Madded) (Workable area Bhopal-patnam, Madded, Awapalli, Pamed Range)	Reserve Bijapur. **East-** Western Boundary of Bijapur Forest Sub Division. **South -** Northern Boundary of Awapalli Forest Sub Division and Northern Boundary of Telangana State. **West-** Eastern Boundary of Maharashtra and Eastern Boundary of Telangana State (Indravati River).	
	Total of Bijapur Division			**2822.694**			

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-125/2001/10-1.—राजस्व जिला बीजापुर में दंतेवाड़ा वनमण्डल के नेलसनार को शामिल करने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, दंतेवाड़ा वनमंडल से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-125/व.सं./2001, दिनांक 20 जुलाई 2001 में (नेलसनार परिक्षेत्र को दंतेवाड़ा वनमंडल से विलोपित कर तथा बीजापुर वनमंडल में सम्मिलित कर) आंशिक संशोधन करते हुए, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दंतेवाड़ा वनमंडल का पुनर्गठन करता है, अर्थात् :—

वृत्त का नाम (1)	जिले का नाम (2)	वनमण्डल का नाम एवं मुख्यालय (3)	उप वनमण्डल का नाम एवं मुख्यालय (4)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) (5)	परिक्षेत्र, काष्ठागार एवं मुख्यालय (6)	उप वनमण्डल की सीमाओं का विवरण (7)	वनमण्डल की सीमाओं का विवरण (8)
जगदलपुर	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा (दंतेवाड़ा)	दंतेवाड़ा (दंतेवाड़ा)	782.559	1. दन्तेवाड़ा (दन्तेवाड़ा) 2. बचेली (बचेली)	**उत्तर**-गीदम उप-वनमंडल की दक्षिणी सीमा एवं बस्तर वनमण्डल की पश्चिमी सीमा.	**उत्तर**-नारायणपुर वनमण्डल की दक्षिणी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					3. दन्तेवाड़ा काष्ठागार (दन्तेवाड़ा)	**पूर्व**- बस्तर वनमण्डल की पश्चिमी सीमा एवं सुकमा वन मण्डल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**- सुकमा वन मण्डल की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**- सुकमा वन-मण्डल की उत्तरी सीमा एवं बीजापुर वन-मण्डल की पूर्वी सीमा.	**पूर्व**- बस्तर वनमण्डल एवं सुकमा वनमण्डल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**- सुकमा वन मण्डल की उत्तरी सीमा. **पश्चिम**- बीजापुर वन-मण्डल की पूर्वी सीमा.
			गीदम (गीदम)	459.946	1. गीदम (गीदम) 2. बारसूर (बारसूर) 3. उत्पादन परिक्षेत्र गीदम (गीदम) (वनमण्डल का सम्पूर्ण क्षेत्र).	**उत्तर** - नारायणपुर वनमण्डल की दक्षिणी सीमा. **पूर्व** - बस्तर वनमण्डल की पश्चिमी सीमा. **दक्षिण**- दन्तेवाड़ा उप-वनमण्डल की दक्षिणी सीमा एवं बीजापुर वनमण्डल की पूर्वी सीमा. **पश्चिम**- बीजापुर वन-मण्डल की पूर्वी सीमा.	
	दंतेवाड़ा वनमण्डल का योग :-			**1242.505**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-125/2001/10-1.—भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-125/2001/10-1, दिनांक 05-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 5th December 2016

No. F 1-125/2001/10-1.—Due to inclusion of Nelasnar Range of Forest Division Dantewada in Revenue District Bijapur, Government of Chhattisgarh, hereby, by partially amending this Department's notification No. F-1-125/V.S./2001, dated 20th July 2001 relating to Dantewada Forest Division, (Nelasnar Range is omitted from Forest Division Dantewada and included in Forest Division Bijapur), reconstitutes the Forest Division of Dantewada as per the decription given below from the date of publication of this notification in Official Gazette, namely :—

Name of circle	Name of District	Name of Division and Headquarter	Name of Sub Division and Headquarter	Area in (sq. km)	Range, Depot and Headquarter	Details of Sub division Boundaries	Details of Division Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jagdal-pur	Dante-wada	Dantewada (Dantewada)	Dantewada (Dantewada)	782.559	1. Dante-wada (Dante-wada) 2. Bacheli (Bacheli) 3. Dante-wada Depot (Dante-wada)	**North-**Southern Boundary of Geedam Forest Sub-Division and Western Boundary of Bastar Forest Division. **East-** Western Boundary of Bastar Forest Division and Western Boundary of Sukma Forest Division. **South-**Northern Boundary of Sukma Forest Division. **West-** Northern Boundary of Sukma forest division and Eastern Boundary of Bijapur Forest Division.	**North-**Southern Boundary of Narayanpur Forest Division. **East-** Western Boundary of Bastar Forest Division and Sukma Forest Division. **South-** Northern Boundary of Sukma Forest Division. **West-** Eastern Boundary of Bijapur Forest Ddivision.
			Geedam (Geedam)	459.946	1. Geedam (Geedam) 2. Barsoor (Barsoor) 3. Production Range Geedam (Geedam) (Whole area of Division)	**North-**Southern Boundary of Narayanpur Forest Division. **East-**Western Boundary of Bastar Forest Division.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						South-Southern Boundary of Dantewada Forest Sub-Division and Eastern Boundary of Bijapur Forest Division. **West-** Eastern Boundary of Bijapur Forest Division.	
	Total of Dantewada Division		**1242.505**				

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक/1568/08 अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	मड़मड़ा प.ह.नं. 09	0.267	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	घोघरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक/1569/11 अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	नेवासपुर प.ह.नं. 41	0.135	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	नेवासपुर जलाशय के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्रमांक/1567/09 अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	कुकरापाली प.ह.नं. 04	0.922	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	तरेगांव जलाशय के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्रमांक/1567/10 अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	तरेगांव जंगल प.ह.नं. 04	4.311	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	तरेगांव जलाशय के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी "बी" प.ह.नं. 26	3.031	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट जमरगी "बी" शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	1.832	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बांयी तट जामझोर टेल शाखा नहर क्र. 6 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	2.240	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बांयी तट जामझोर कोंडार पारा शाखा नहर क्र. 3 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2013-14.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-कर्राजोर, प.ह.नं. 27 तहसील पुसौर व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.453 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 31-01-2014 तथा दिनांक 02-05-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 11 कुल रकबा 0.332 हे. भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कर्राजोर

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	209/31क	0.020
2.	194/4	0.097
3.	321/1	0.004
4.	323/1	0.041
5.	145/1	0.033
6.	353/3क	0.053
7.	125	0.012
8.	201/31ग	0.040
9.	312/8	0.020
10.	343/14	0.012
	कुल खसरा 10	**रकबा 0.332 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2013-14.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-छिंच, प.ह.नं. 27 तहसील पुसौर व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.765 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 31-01-2014 तथा दिनांक 16-05-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.165 हे. भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त

करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छिंच

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	179/1	0.024
2.	209/1ग	0.121
3.	108/3क	0.020
	कुल खसरा 03	**रकबा 0.165 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जून 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2013-14.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-जामपाली, प.ह.नं. 27 तहसील पुसौर व जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.109 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिंच माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 31-01-2014 तथा दिनांक 04-07-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.020 हे. भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-जामपाली

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	74/1 ट	0.020
	कुल खसरा 01	**रकबा 0.020 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15326/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	विजयपुर	1.38 एकड़	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-12-2016 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत भवन, विजयपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी. परियोजना से कुल 21 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 2/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.632 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	96	0.170
	107/1	2.387
	252	0.295
	256	0.154
	681/1ठ	0.388
	482/4	0.081
	486/1ख	0.040
	632/1च	0.117
योग	8	3.632

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 3/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-रानीझाप
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.863 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	24/1	0.065
	5/1	0.045
	23/1	0.097
	11	0.012
	16/1, 16/4	0.045
	1/10	0.073
	13	0.117
	14/4	0.012
	15, 16/3	0.057
	14/5	0.340
योग	8	0.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 10/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंजनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157/3	0.028
योग	1	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 4/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोटरियाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.282 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	9/27, 9/28	0.093
	8/2	0.057
	21/8	0.053
	21/17	0.089
	21/14	0.036
	10	0.077
	30/11	0.069
	60/7	0.129
	21/3क	0.041
	8/1क	0.065
	26/2ङ	0.061
	30/12	0.049
	31/9	0.178
	31/10	0.308
	26/1क	0.154
	38	0.069
	26/2ग	0.061
	21/2	0.057
	21/11	0.125
	18/1	0.134
	30/3घ	0.174
	30/13	0.093
	21/18, 21/19	0.097
	22	0.113
	26/1ख	0.154
	9/22	0.231
	21/21	0.069
	26/7	0.028
	9/1क	0.186
	26/3	0.036
	30/4	0.061
	1/6ख	0.097
	8/1ख	0.065
	9/19	0.105
	21/6क	0.065
	9/8ख	0.271
	26/8	0.150
	30/5	0.045
	21/22	0.101
	26/2ख	0.061
	26/2 घ	0.061
	26/4	0.053
	26/2क	0.061
योग	42	4.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटरियाडांड़ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 4/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धनगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.429 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	770/5	0.057
	619/2	0.178
	625/3	0.097
	625/2	0.097
योग	4	0.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोगीडोंगरी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरखूंटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.971 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	135	0.069
	38	0.101
	12	0.348
	13	0.138
	45	0.275
	48	0.251
	111	0.166
	18	0.178
	2	0.445
योग	9	1.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटरियाडांड़ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-गौरेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	120	0.146
योग	1	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-भरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.80 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	451/1	1.60
	451/2	0.55
	459/1	0.39
	459/2	0.10
	452	1.15
	453/1	0.59
	456	0.18
	460	0.27
	462	0.33
	461/2	0.10
	463	0.19
	453/2	0.35
योग	12	5.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत फीडर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 46/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-करवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.705 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	407/1	0.142
	407/2	0.061
	428	0.053
	435	0.061
	436/1	0.061
	436/2	0.125
	404	0.202
योग	7	0.705

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उपका व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्रमांक 47/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-दारसागर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29/1ञ	0.227
	30/1	0.073
	30/3	0.300
	30/4	0.061
	30/5	0.061
	30/6	0.061
	30/7	0.061
	30/8	0.057
	37/1	0.109
	37/2	0.109
	37/3	0.109
	37/4	0.109
	37/5	0.020
	37/6	0.020
	37/7	0.020
	37/8	0.020
	37/9	0.020
	37/10	0.020
	37/11	0.020
	37/12	0.020
	38	0.352
	39	0.211
योग	22	2.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.561 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/2, 190/2	0.165
193/9	0.024
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188	0.028
193/1ग	0.142
189/1, 190/1	0.036

	(1)	(2)
	193/6	0.024
	193/7	0.041
	193/1ख	0.101
योग	16	0.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमोरा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मुरकुटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	16/1	0.32
	16/6	0.10
	16/7क	0.03
	16/7ग	0.04
	16/8	0.03
योग	5	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरकुटा स्टापडेम हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2016

क्रमांक 30/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	6631/1	0.142
योग	1	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेलनाडीह एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्रमांक 27/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-तखतपुर
  (ग) नगर/ग्राम-सागर
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.426 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	508/1	0.020
	497/2ख	0.012
	507/1	0.016
	509	0.016
	502/1	0.032
	498	0.020
	496	0.028
	479/2ब	0.016
	495/1	0.028
	501	0.041
	1526	0.097
	1463/1	0.138
	1505/1	0.142
	1469	0.121
	1504/1	0.101
	1504/2	0.040
	1518/2	0.081
	1519	0.061
	1517	0.016
	1521	0.129
	1462	0.121
	1518/1	0.077
	504/1	0.028
	505/1	0.045
योग	24	1.426

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विन्ध्यासर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-मस्तूरी
  (ग) नगर/ग्राम-डोड़की
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
4	0.17
2/1	0.02
16/2	0.25
3/1	0.52
3/2	0.10
13	0.10
14	0.09
15	0.20
21/1	0.35
12/4	0.60
12/24	0.50
12/19	0.53
10/4	1.62
10/5	0.33
99/8	0.37
228/3	0.10
228/1	0.10
224/13	0.25
224/15, 224/16	0.30
233/3	0.30
238/4	0.87
381	1.41
238/1	1.37
380	1.00
99/2	0.37

(1)	(2)
33/4	0.80
80/2	0.10
239/2	0.04
योग	12.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम डोड़की में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-रिस्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
290/6	0.50
290/8	0.62
291/1, 291/32	0.62
291/2	0.65
291/6	0.49
269/1	0.28
270/1	0.68
270/4	0.81
201/1	0.06
270/6	0.08
267/4	0.01
265/1	0.69
265/2	0.10
264	0.48
261/1	0.29
263/1	1.10
259/1	0.61
259/2	0.69
258/8	1.46
258/4	0.73
204/3	1.00
203/1	0.17
202/9	0.66
202/8	0.50
202/5	0.58
197/3	0.05
198/2	0.30
202/3	0.27
197/4	0.05
197/1	0.06
411/1	0.20
144/1	0.12
144/2	0.14
144/3	0.10
143/3	0.20
140/5	0.04
143/42	0.02
140/2	0.40
143/32	0.68
140/3	0.02
143/7	0.01
139/1	0.22
140/1	0.35
140/7	0.03
143/19	0.27
143/20	0.08
141/1	0.08
146/2	0.67
140/4	0.01
271/8	0.36

	(1)	(2)
	271/10	0.36
योग		18.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम रिस्दा में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-मस्तूरी
  (ग) नगर/ग्राम-अकोला
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.68 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	72/2	0.86
	72/3	0.02
	72/4	0.39
	68/9	0.10
	70/4	0.15
	61/2	0.25
	70/6	0.05
	28/1	0.01
	70/5	0.16
	74/2	0.14
	70/1	0.20
	74/4	0.18
	74/1	0.18
	68/6	0.12
	68/7	0.04
	68/16	0.13
	68/20	0.12
	68/1	0.09
	60/2	0.10
	60/1	0.12
	61/1, 61/3	0.80
	61/4	0.08
	59	0.43
	28/2	0.02
	28/3	0.39
	56	0.25
	55/1	0.12
	55/2	0.18
	54/6	0.08
	55/4	0.02
	54/1	0.25
	50/2	0.03
	54/4	0.06
	54/8	0.16
	53	0.30
	68/2	0.10
योग		6.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम अकोला में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-हिर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
121	0.25
122/6	0.06
125/1	0.18
164/2	0.24
123/1	0.04
123/4	0.03
123/2	0.04
140/3	0.16
164/3	0.02
122/12	0.04
142, 184/2	0.22
164/1	0.08
125/2	0.14
139	0.20
140/2	0.11
160/1	0.08
161	0.04
148/1	0.16
186/1	0.02
149/13	0.02
149/6	0.25
149/4	0.53
151/1	0.36
152	0.28
153	0.15
150/2	0.02
373/1	0.37
373/4	0.12
374/1	0.05
389/7	0.22
389/9	0.11
390/1	0.17
390/2	0.06
391/1	0.39
398/3	0.15
326/8	0.43
(1)	(2)
326/9	0.11
357/2	0.47
357/1	0.69
335/2	0.08
335/6	0.10
335/4	0.33
335/3	0.09
326/4	0.19
326/7	0.06
327/2	0.42
326/10	0.06
318/1	1.08
318/4	0.36
318/3	0.28
318/10	0.25
536/2	1.27
615/13	0.10
615/16	0.47
615/12	0.31
615/24	0.16
615/11	0.48
615/10	0.91
318/15	0.33
318/16	1.48
124	0.27
147	0.25
374/2	0.07
163	0.17
372/2	0.30
389/3, 389/5	0.22
393/1	0.80
355/5	0.30
355/9	0.25
योग	18.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम हिर्री में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-देवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.63 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
145/2	3.90
159/1	0.30
159/2	0.25
160/1	0.24
160/2	0.40
155/1	0.10
155/2	0.10
161/1	0.10
162	0.55
163/2	0.33
345	0.17
166/1	0.20
166/8	0.20
166/11	0.02
167/2	0.17
167/1	0.17
166/7	0.31
166/9	0.03
174/1	0.59
174/2	0.23
169/3	0.22
170/2	0.25
248/1	0.23
248/2	0.28
346	0.21
347/3	0.05
348/1, 348/2	0.44
342	0.14
344	0.17
341	0.37
340	0.34
466/1	0.44
466/10ग	0.67
466/10घ	0.34
466/2	0.07
466/3	0.16
466/4	0.39
466/23	0.07
466/5	0.16
466/26	0.34
517/2	0.34
517/3	0.18
517/4	0.18
516	0.39
466/12	0.50
565	0.34
योग	15.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत ग्राम देवगांव में मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्रमांक/15/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बेमेतरा
  (ख) तहसील-बेरला
  (ग) नगर/ग्राम-लावातरा, प.ह.नं. 31
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.83 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	377	0.26
	444/1	0.15
	444/2	0.19
	445	0.09
	451	0.02
	452	0.12
	453	0.14
	454	0.14
	455	0.18
	471	0.06
	476	0.16
	477	0.01
	478	0.03
	479	0.06
	480	0.16
	484	0.04
	485	0.02
योग	17	1.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लावातरा मार्ग में लोर नाला पर उच्च स्तरीय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्रमांक/791/ELU/गुण्डरदेही/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि गुण्डरदेही निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत गुण्डरदेही/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 22-08-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. गुण्डरदेही निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

गुण्डरदेही निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खर्रा, कचान्दुर, धर्मी, देवरी, साजा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम साजा, भेंडरा, मचौद, टेकापार, खलारी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खलारी, खुटेडी, रंगकठेरा, चैनगंज, चिचलगोंदी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चिचलगोंदी, बघमरा, खर्रा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, गुण्डरदेही.

No./791/ELU/Gunderdehi/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Gunderdehi planning area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 22-08-2016 during office hour in the office of Nagar Panchayat Gunderdehi/Exhibition Venue, office of sub Divisional officer (Revenue) Gunderdehi & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Gunderdehi Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Gunderdehi Planning Area

NORTH	:	Village Kharra, Kachandur, Dharmi, Deori Village Saja up to North Boundary.
EAST	:	Village Saja, Bhendara, Machoud, Tekapar Villae Khalari up to East Boundary.
SOUTH	:	Village Khalari, Khutedi, Rangkathera, Chainganj Village Chichalgondi up to South Boundary.
WEST	:	Village Chichalgondi, Baghmara Village Kharra up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Blaod C.G. or inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be Considered by the Assistant Director, Town & Country Planning Balod C.G.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat, Gunderdehi.

बालोद, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक/799/ELU/डौण्डीलोहारा/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत डौण्डीलोहारा/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 26-08-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

डौण्डीलोहारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम कोटेरा, धनगांव, अंडी, सम्बलपुर, बडगांव की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बडगांव, खडेनाडीह, जोगीभाट की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम जोगीभाट, बटेरा, डौण्डीलोहारा, कसही की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कसही, धनगांव, कोटेरा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, डौण्डीलोहारा.

No./799/ELU/Dondilohara/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Dondilohara planning area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 26-08-2016 during office hour in the office of Nagar Panchayat Dondilohara/Exhibition Venue, office of sub Divisional Officer (Revenue) Dondilohara & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Dondilohara Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Dondilohara Planning Area

NORTH	:	Village Kotera, Dhangaon, Andi, Sambalpur Village Bargaon up to North Boundary.
EAST	:	Village Bargaon, Khadenadih Village Jogibhat up to East Boundary.
SOUTH	:	Village Jogibhat, Batera, Dondilohara Village Kasahi up to South Boundary.
WEST	:	Village Kasahi, Dhangaon Villae Kotera up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Blaod C.G. or inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be Considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat, Dondilohara.

बालोद, दिनांक 25 नवम्बर 2016

क्रमांक/1051/ELU/गुरूर/नग्रानि/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुरूर निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

गुरूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम भरदा, तार्री, बोरतरा, कोलिहामार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कोलिहामार, बोहारडीह, दानीटोला की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम दानीटोला, कन्हारपुरी, सोनईडोंगरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम सोनईडोंगरी, खैरवाही, भरदा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No./1051/T&CP/D.P./Gurur/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Gurur planning area so prepared under published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazatte under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Gurur Planning Area

NORTH	:	Village Bharda, Tarri, Bortara village Kolihamar up to North Boundary.
EAST	:	Village Kolihamar, Bohardih village Danitola up to East Boundary.
SOUTH	:	Village Danitola, Kanharpuri village Sonaidongari up to South Boundary.
WEST	:	Village Sonaidongari, Kharwahi village Bharda up to West Boundary.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/1866/विश्रा. व.भू-उप/न.ग्रा.नि./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति तहसील कार्यालय भवन विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव, कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 06-12-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम वैजनपुरा, खलारी एवं कोसमी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कोसमी, हाल्मा, बाडगांव, करूभाट, होनावंडी एवं पारोन्ड ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम पारोन्ड, खजरावंड, सोनपुर कलगांव एवं कोरगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कोरगांव, आमागुहान एवं वैजनपुरा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, प्र. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : तहसील कार्यालय

No. 1866/vish. EXT.L./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Vishrampuri planning area has been prepared under section 15 sub section (1) of the C.G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dates 06-12-2016 during office hours in the office of the tahasil Vishrampuri, office of the collector, district Kondagaon & office of Deputy Director, Town & Country planning collectorate compound composite building Jagdalpur, dist. Bastar the limit of the Vishrampuri planning area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Vishrampuri Planning Area

NORTH	:	Village Vejenpura, Khalari, Kosmi up to North Boundary.
EAST	:	Village Kosmi, aalma, Bandhgaon, Kurubhath, Honavandi, Parondh up to East Boundary.
SOUTH	:	Village Parondh, Khajraband, Sonpur, Kalgaon, Korgaon up to South Boundary.
WEST	:	Village Korgaon, aamaguhan, Vejenpura up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be Considered by i/c deputy director.

Place of inspection : Office of the tahsil.

डी. के. बघेल,
उप संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक 2373/लवन/नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट लवन निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

लवन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम डोंगरा, कोरदा, अहिल्दा एवं बरदा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बरदा, ढनढनी, मुण्डा एवं चिरपोटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चिरपोटा, सरवाडीह, बगबुडा, बम्हनपुरी एवं हरदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हरदी, भालूकोना, सिंधारी, परसापाली, डोंगरीडीह एवं डोंगरा की पूर्वी सीमा तक.

कमलासिंह
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th December 2016

No. 881/Confdl./2016/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Yashoda Kashyap, Member of Lower Judicial Service, presently posted as Civil Judge Class-I, Gunderdehi, District, Balod, She is hereby, permitted to change her name as "Smt. Yashoda Nag" in place of "Ku. Yashoda Kashyap" and to incorporate the name of her husband Shri Harendra Singh Nag in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her rcords.

By the order of Hon,ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.